



**कार्यालय कलेक्टर, जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-:: अधिसूचना ::-

क्रमांक / 14574 / भू-अर्जन / 2025

कोरबा, दिनांक 21/11/2025

क्रमांक 201902050400023 / अ-82 / 2020-21, चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की, रैनकोटा जलाशय योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

- | | | | |
|-----|-------------------|---|-----------|
| 01. | जिला | : | कोरबा |
| 02. | तहसील | : | पाली |
| 03. | ग्राम | : | कोडार |
| 04. | भूमि का क्षेत्रफल | : | 6.109 हे. |

क्र.	खसरा	रकबा (हे.में)	क्र.	खसरा	रकबा (हे.में)
1	114/1	0.017	14	193/3	0.526
2	115/1	0.061	15	195/3	0.272
3	116/1	0.013	16	179	0.073
4	193/1	0.526	17	180/1	0.364
5	195/1	0.272	18	180/2	0.121
6	114/2	0.016	19	186	0.024
7	115/2	0.061	20	188/1	0.405
8	116/2	0.013	21	188/2	1.590
9	193/2	0.526	22	201	0.567
10	195/2	0.273	23	202	0.227
11	114/3	0.016	24	223/1	0.036
12	115/3	0.060	25	223/2	0.036
13	116/3	0.014	25 खसरे		6.109

- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के कार्यालय में किया जा सकता है।
- उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली
जिला- कोरबा (छ.ग.)


(अजीत वसंत)
कलेक्टर
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग